

उत्तर प्रदेश शासन  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3  
संख्या-1837/52-3-2023-सा(13)/2017-3099/109/2023

लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2023

**कार्यालय-ज्ञाप**

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-4030/52-3-12-14(72)/95टीसी, दिनांक-14.01.2013 द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 निर्गत की गयी है तथा उक्त नियमावली में छः बार संशोधन किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3141/अ0सं0क0नि0-1070/दशमो0छा0/नि0संशो0/2023-24, दिनांक-21 सितम्बर, 2023 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली, 2023 (सप्तम् संशोधन) में निम्नवत् व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है:-

| क्र 0 | शीर्षक                | नियम (उपबन्ध सहित)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | नाम                   | यह नियमावली उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण (संशोधित) नियमावली, 2023 कहलायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2     | उद्देश्य              | इस योजना का मुख्य उद्देश्य दशमोत्तर कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के गरीब माता-पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है। |
| 3     | प्रसार/विस्तार        | इस नियमावली से उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें/विद्यार्थी आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | प्रारम्भ होने की तिथि | इस नियमावली के प्राविधान शिक्षण सत्र वर्ष 2023-24 से लागू होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | परिभाषा               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (i) केन्द्र सरकार     | "केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | (ii) राज्य सरकार      | "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | (iii) निदेशालय        | "निदेशालय" का तात्पर्य अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (iv) निदेशक           | "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | (v) शिक्षण संस्था     | "शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था से है, बशर्ते वह शिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थान, मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थान अथवा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित                                                                                                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>National Scholarship Portal (NSP) पर पंजीकृत (Registered) निजी क्षेत्र का मान्यता प्राप्त संस्थान हो।</p> <p>केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों हेतु NAAC (National Assessment &amp; Accreditation Council and Autonomous Institution of the University Grant Commission) के द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त बी. ग्रेड (B Grade) अथवा उससे ऊपर के लेवल की ग्रेडिंग/मान्यता अनिवार्य है।</p> <p>11वीं एवं 12वीं कक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों का UDISE Code तथा उच्च कक्षाओं के लिये AISHE Code होना आवश्यक है।</p> |
| (vi) पाठ्यक्रम                             | <p>पाठ्यक्रम का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।</p> <p>अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में, जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल/मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।</p>                                                                                                             |
| (vii) अभ्यर्थी                             | <p>“ अभ्यर्थी ” का तात्पर्य किसी ऐसे छात्र/छात्रा/ विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (viii) वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी | <p>“वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी से है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ix) नोडल अधिकारी                          | <p>योजनान्तर्गत <b>State Nodal Officer (SNO)</b> का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति) से है। <b>District Nodal Officer (DNO)</b> का तात्पर्य सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से है। <b>Head of Institute (HoI)</b> का तात्पर्य संस्था के प्रमुख/प्रधानाचार्य से है तथा <b>Institute Nodal Officer (INO)</b> का तात्पर्य <b>Head of Institute (HoI)</b> द्वारा छात्रवृत्ति योजना के लिये नामित अधिकारी से है।</p>                                                |
| (x) राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार           | <p>“राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार” का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (xi) अल्पसंख्यक वर्ग                       | <p>अल्पसंख्यक से तात्पर्य नियमावली में निहित समुदाय के 06 वर्गों यथा मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन से है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (xii) बैंक                                 | <p>“बैंक” का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो तथा संबंधित बैंक पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत हों।</p> <p>लाभार्थी के आधार सत्यापन के उपरान्त कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0 एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा “आधार वेड पेमेण्ट सिस्टम”</p>                                                                                                                                                                           |

|                         | (ABPS) डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अन्तरण किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (xiii) शैक्षणिक सत्र    | “ शैक्षणिक सत्र “ का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (xiv) छात्रवृत्ति       | सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत देय धनराशियों की मासिक/वार्षिक दरें (अधिकतम 12 माह हेतु) निम्नलिखित होंगी:- <table><tr><th colspan="3">अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</th></tr><tr><th>समूह</th><th>दिवाछात्र (मासिक/वार्षिक दरें)</th><th>छात्रावासीय छात्र (मासिक/वार्षिक दरें)</th></tr><tr><td>समूह - 1 हेतु</td><td>रु 0 550/6600</td><td>रु 0 1200/14400</td></tr><tr><td>समूह - 2 हेतु</td><td>रु 0 530/6360</td><td>रु 0 820/9840</td></tr><tr><td>समूह - 3 हेतु</td><td>रु 0 300/3600</td><td>रु 0 570/6840</td></tr><tr><td>समूह - 4 हेतु</td><td>रु 0 230/2760</td><td>रु 0 380/4560</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                |  |  | समूह | दिवाछात्र (मासिक/वार्षिक दरें) | छात्रावासीय छात्र (मासिक/वार्षिक दरें) | समूह - 1 हेतु | रु 0 550/6600 | रु 0 1200/14400 | समूह - 2 हेतु | रु 0 530/6360 | रु 0 820/9840 | समूह - 3 हेतु | रु 0 300/3600 | रु 0 570/6840 | समूह - 4 हेतु | रु 0 230/2760 | रु 0 380/4560 |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| समूह                    | दिवाछात्र (मासिक/वार्षिक दरें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | छात्रावासीय छात्र (मासिक/वार्षिक दरें) |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| समूह - 1 हेतु           | रु 0 550/6600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु 0 1200/14400                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| समूह - 2 हेतु           | रु 0 530/6360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु 0 820/9840                          |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| समूह - 3 हेतु           | रु 0 300/3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु 0 570/6840                          |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| समूह - 4 हेतु           | रु 0 230/2760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रु 0 380/4560                          |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (xv) समूह               | समूह 1,2,3 व 4 में पाठ्यक्रम एवं कक्षा स्तर निम्नवत् होंगे:-<br>समूह 1- स्नातक एवं परास्नातक स्तर के समस्त तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।<br>समूह 2- परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।<br>समूह 3- स्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।<br>समूह 4- इण्टर के समस्त एवं समकक्ष स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| (xvi) शुल्क             | 1. “शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। “शुल्क” के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किये जाने वाले शुल्क, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।<br><br>2. जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम विभाग/शुल्क नियमन समिति को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि अथवा समूह-1 में रु0-50,000/-, समूह-2 में रु0 30,000/-, समूह-3 में रु0 20,000/- व समूह-4 में रु0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।<br><br>3. जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति अधिनियम के तहत स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क (राज्य विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित न होने की दशा में निजी क्षेत्र |                                        |  |  |      |                                |                                        |               |               |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित उसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में निर्धारित प्रदेश में न्यूनतम शुल्क) अथवा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से ली जाने वाली शुल्क अथवा आनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी शुल्क जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित किया गया है अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |        | 4. प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ०प्र० सरकार अथवा राज्य सरकार की फीस नियमन समिति (यदि गठित है) स्तर से निर्धारित नहीं है, ऐसे सम्बद्ध/सहयुक्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के नियमित पाठ्यक्रम में प्रदेश में न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से जमा करायी गयी वास्तविक शुल्क अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |        | 5. शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण के लिये अधिकृत राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों यथा- तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सक्षम स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमवार शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासकीय विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है। किसी वर्ष विशेष में एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय स्तर से शुल्क सत्यापित करने की अंतिम तिथि तक यदि शुल्क निर्धारण नहीं किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में शुल्क नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस अथवा समूह-1 में ₹0-50,000/-, समूह-2 में ₹0 30,000/-, समूह-3 में ₹0 20,000/- व समूह-4 में ₹0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। |
| 6 | अर्हता | छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | (i)    | केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों, अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक स्तर के शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्ड्री या इससे कोई उच्चतर वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो, तथापि:-<br>(अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर अभ्यर्थी को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>(ब) प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के मेडिकल/इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के उन्हीं अभ्यर्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा/ JEE/NEET के माध्यम से नामांकित किया गया हो।</p> <p>नोट- 1 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में मैनेजमेन्ट कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।</p> <p>नोट- 2 शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित अभ्यर्थियों से इतर बिना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये अभ्यर्थी मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।</p> |
| (ii)   | <p>यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी:-</p> <p>(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम</p> <p>(ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम</p> <p>(ग) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम</p> <p>(घ) कामर्शियल पायलेट लाइसेंस के पाठ्यक्रम</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (iii)  | ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹0 2.00 लाख से अधिक न हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (iv)   | सामान्य पाठ्यक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शिक्षा का एक स्तर उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के अगले स्तर पर न जाकर उसके निचले अथवा पूर्व स्तर के समकक्ष स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन किये जाने पर, ऐसे समस्त अभ्यर्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (v)    | व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शिक्षा का एक स्तर उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के अगले स्तर पर न जाकर, उसके समकक्ष/निचले स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन किये जाने पर ऐसे समस्त अभ्यर्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (vi)   | सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुदेशीय हाईस्कूल की 12 वीं कक्षा के हायर सेकेण्डरी स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को दशमोत्तर छात्र समझा जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (vii)  | यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या बजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनिशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (viii) | चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ix)   | किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेंड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएँ इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (x)    | उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹0 2.00 लाख से अधिक न हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (xi)   | एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (xii)  | इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (xiii) | वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (xiv)  | <p>जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि परिवार के अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित, किन्तु बेरोजगार के मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो अभ्यर्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है।</p> <p>ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या सम्भ्रान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षिता में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाप्ट कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे।</p> <p>ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाते हैं तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है। जिस हेतु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात् एन0आई0सी0 द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन कराये जाने हेतु व्यवस्था करायी जायेगी।</p> |
| (xv)   | भारत सरकार की किसी योजना से छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (xvi)  | यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ( xvii )                                                | किसी भी नवीन अभ्यर्थी के आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में आनलाइन आवेदन किया गया है अथवा नहीं अर्थात् उसके द्वारा उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया है अथवा छोड़ दिया गया है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्षों में प्राप्त समस्त धनराशि वापस करनी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ( xviii )                                               | शिक्षा सत्र के अन्तर्गत शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले विगत वर्ष के नवीन छात्र/छात्राओं के सापेक्ष पाठ्यक्रमवार कम से कम 50 प्रतिशत अभ्यर्थी आगामी वर्ष आवेदन करें, यदि संख्यात्मक रूप में पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से कम आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएँ/ कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में पाठ्यक्रम के आगामी वर्ष में आवेदन न करने वाले छात्र/छात्रायें जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ है, उन्हें धनराशि संस्था को वापस करानी होगी, जिसे संस्था द्वारा निदेशालय को वापस करना होगा तथा नव प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिये संस्था छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये अनर्ह होगी। संस्था में नव प्रवेशित अभ्यर्थियों में से अगले वर्ष यदि कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाता है तो संस्था व अभ्यर्थी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे। |
|   | ( xix )                                                 | निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 30 वर्ष की आयु (उस वर्ष 01 अप्रैल को) की सीमा तक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ( xx )                                                  | आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अथवा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा कक्षा-8 निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल अथवा कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य                            | प्रदेश के अन्दर दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | माता-पिता/ अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य | माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | (i)                                                     | अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक किसी नौकरी, व्यापार अथवा व्यवसाय में हैं तथा अपनी वास्तविक आय को छिपाकर उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त ऐसे आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    | जिसमें माता-पिता/पति/संरक्षक की वास्तविक आय सम्मिलित नहीं हैं, तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | (iii)                                                                              | आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी, परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं का पंजीकरण एवं कोर्स मास्टर में पाठ्यक्रमों का पंजीकरण |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | (i)                                                                                | शिक्षण संस्थानों को सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा-शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष समय-सारिणी में निर्धारित अवधि तक सम्मिलित कराना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अवधि में मास्टर डाटाबेस में नये मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असंचालित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा हटाया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात सूचित किये जाने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा मास्टर डाटा में से ऐसे संस्थान हटाये जायेंगे। |
|   | (ii)                                                                               | उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 जून तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 जून के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | (iii)                                                                              | मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से स्वीकृत वार्षिक शिक्षण शुल्क आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान को Hol/INO द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन भरकर डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमन्य सीटों से सम्बन्धित आदेश/पत्र आदि पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में सम्बन्धित साफ्टवेयर पर शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/ अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा आनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित Hol/INO का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | (iv)                                                                               | जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। बैंक,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | बैंक शाखाओं के नाम व उनके IFS कोड को मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने एवं IFS कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (v)    | मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या, शुल्क आदि विवरण का सत्यापन कक्षा 11 व 12 हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक तथा कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजिटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                               |
| (vi)   | प्रदेश के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर संदेह का निवारण कर लेंगे। अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे। मदरसों की स्थलीय जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (vii)  | <p>मास्टर डाटाबेस के समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं National Scholarship Portal (NSP) पर पंजीकृत (Registered) मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के Institute Nodal Officer (INO) एवं Head of Institute (HoI) का सत्यापन E-KYC/Digital Signature प्रणाली से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (DNO) द्वारा किया जायेगा।</p> <p>शिक्षण संस्थानों के Institute Nodal Officer (INO) के Digital Signature का प्रयोग आवेदकों के आवेदन पत्रों के सत्यापन/अग्रसारण के इतर एवं किसी अन्य संस्था के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>इसके पूर्व राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति योजना हेतु नामित State Nodal Officer (SNO) एवं जिले स्तर पर छात्रवृत्ति योजना हेतु नामित District Nodal Officer (DNO) अर्थात् जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का सत्यापन E-KYC/Digital Signature द्वारा किया जायेगा।</p> |
| (viii) | शिक्षण संस्थान के HoI/INO का दायित्व होगा कि संस्था से आनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय संस्था द्वारा प्रत्येक छात्र का अनिवार्य रूप से गत परीक्षा के प्रस्तांक एवं पूर्णांक, उपस्थिति प्रतिशत का विवरण डाटा फारवर्ड करते समय अंकित किया जाय। इसी प्रकार संस्था द्वारा मास्टर डाटा भरने के साथ-साथ छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अंकित अपने डिजिटल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | हस्ताक्षर से लॉक किया जाना अनिवार्य होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ix)   | DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन अपने डिजिटल हस्ताक्षर से करके उन्हें निर्णयार्थ जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (x)    | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत डाटा को DNO द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करके SNO को अग्रसारित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (xi)   | <p>Hol/INO द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय दिए गये आप्शन (<b>Option</b>) में अभ्यर्थियों के गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा के वास्तविक पूर्णांक/प्राप्तांक एवं परीक्षा परिणाम का सही-सही अंकन करना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने/त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किये जाने के कारण यदि अभ्यर्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित रह जाते हैं, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान का होगा।</p> <p>प्रोन्नत किये गये छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये पूर्णांक/प्राप्तांक का मिलान संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा अंकित/ सत्यापित किये गये विवरण एवं संबंधित शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित (<b>Display</b>) गत वार्षिक परीक्षा परिणाम से मिलान होने की स्थिति में ही छात्र/छात्राएं अर्ह माने जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में किसी भी एक स्तर से अंकों के मिलान के अभाव में ऐसे छात्र/छात्राएं सन्देहास्पद (<b>Suspected</b>) की श्रेणी में माने जायेंगे।</p> <p>सन्देहास्पद श्रेणी में इंगित छात्र/छात्राओं द्वारा समय-सारिणी में संशोधन के लिये निर्धारित अवधि में ही स्वयं आनलाइन निराकरण/ संशोधन किया जायेगा तथा संशोधित आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट संशोधन के वांछित अभिलेखों सहित समयान्तर्गत शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे शिक्षण संस्थान द्वारा समयान्तर्गत आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा और यदि शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन को पुनः आनलाइन अग्रसारित नहीं किया जाता है, तो छात्र/छात्राओं द्वारा किया गया कोई भी संशोधन मान्य न होगा और उसके द्वारा पूर्व में भरे गये आनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण/डाटा के आधार पर ही जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।</p> |
| (xii)  | सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में की गई त्रुटि को सही करने हेतु छात्र को उसी सन्देहास्पद बिन्दु पर अपना उत्तर/सही करने के लिये एक बार आनलाइन अलग से आप्शन दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा भी इसे अनिवार्य रूप से सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा जिसे DNO द्वारा सत्यापित कर जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (xiii) | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत डाटा को DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने Digital Signature से लॉक करते हुए SNO को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा। DNO द्वारा लॉक किये डाटा परीक्षणोपरान्त SNO द्वारा एन0आई0सी0, राज्य इकाई से मांग सृजित करायी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 10        | छात्रवृत्ति की निर्धारित दरें                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | (i)                                                                                                      | दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दर व दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्रावधान किया गया है, वह तदनु रूप लागू रहेगा, जो संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
|           | (ii)                                                                                                     | उन छात्रों को, जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उनको दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय में दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
| 11-       | छात्र को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु संस्था एवं अभ्यर्थी की वरीयता क्रम का निर्धारण |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
|           | (i)                                                                                                      | योजनातर्गत निर्धारित समूह एवं पाठ्यक्रमों में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने हेतु पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
|           | (ii)                                                                                                     | जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल (सेमेस्टर प्रणाली) पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा अंकों के साथ प्रोन्नत होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, ऐसे सम्बन्धित छात्र द्वारा पिछली कक्षा के दोनों सेमेस्टर में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण/प्रोन्नत हुआ हो, छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
|           | (iii)                                                                                                    | <p>1- निर्धारित अवधि में आनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये उन अभ्यर्थियों को शुल्कप्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति का भुगतान पिछली कक्षा में अभ्यर्थियों की उच्च मेधा (High Merit) को आधार बनाकर निम्नांकित श्रेणियों में अलग-अलग मेरिट निर्धारित की जायेगी:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>समूह सं 0</th><th>समूह</th><th>कुल उपलब्ध बजट का समूह हेतु निर्धारित अंश</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>स्नातक/परास्नातक स्तर के समस्त प्रोफेशनल (तकनीकी/व्यावसायिक) पाठ्यक्रम</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>स्नातक स्तर गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>इण्टर के समस्त पाठ्यक्रम एवं समकक्ष स्तर के समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम</td><td>30%</td></tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त श्रेणियों में बनायी मेरिट के आधार पर उपलब्ध बजट को आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जायेगा और तदनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति का भुगतान आनुपातिक आधार पर उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित मेरिट के अनुसार किया जायेगा। योजनान्तर्गत शासन स्तर से निर्गत बजट में से समूह-1 के लिये 30 प्रतिशत, समूह-2 के लिये 20 प्रतिशत, समूह-3 के लिये 20 प्रतिशत तथा समूह-4 के लिये 30 प्रतिशत भाग निर्धारित किया</p> | समूह सं 0 | समूह | कुल उपलब्ध बजट का समूह हेतु निर्धारित अंश | 1 | स्नातक/परास्नातक स्तर के समस्त प्रोफेशनल (तकनीकी/व्यावसायिक) पाठ्यक्रम | 30% | 2 | परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 20% | 3 | स्नातक स्तर गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 20% | 4 | इण्टर के समस्त पाठ्यक्रम एवं समकक्ष स्तर के समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 30% |
| समूह सं 0 | समूह                                                                                                     | कुल उपलब्ध बजट का समूह हेतु निर्धारित अंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
| 1         | स्नातक/परास्नातक स्तर के समस्त प्रोफेशनल (तकनीकी/व्यावसायिक) पाठ्यक्रम                                   | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
| 2         | परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम                                                        | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
| 3         | स्नातक स्तर गैर तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम                                                              | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |
| 4         | इण्टर के समस्त पाठ्यक्रम एवं समकक्ष स्तर के समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम                            | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                                           |   |                                                                        |     |   |                                                   |     |   |                                             |     |   |                                                                               |     |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                | <p>जायेगा।</p> <p>प्रत्येक समूह में निम्नवत क्रम में अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जायेगा :-</p> <p>(i) शासकीय संस्थानों में अध्ययनरत अभ्यर्थी।</p> <p>(ii) अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत अभ्यर्थी।</p> <p>(iii) NSP पोर्टल पर पंजीकृत निजी शिक्षण संस्थानों के अध्ययनरत अभ्यर्थी।</p> <p>निर्धारित धनराशि से श्रेणीवार सर्वप्रथम पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा, तत्पश्चात उस समूह हेतु निर्धारित बजट की अवशेष धनराशि से श्रेणीवार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>2- उपलब्ध बजट की सीमा में अभ्यर्थियों को उनकी गतवर्ष की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लगाकर परिलक्षित मेरिट की सीमा तक के अभ्यर्थियों को ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।</p> <p>3- यदि किसी समूह में समस्त पात्र आवेदकों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान करने के पश्चात भी उस समूह में बजट की धनराशि अवशेष रहती है, तो इस अवशेष धनराशि को शेष समूहों में निर्धारित बजट के आनुपातिक आधार पर समायोजित करते हुए उन समूह के पात्र आवेदकों को शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>4-(i)- यदि मेरिट के आधार पर किसी श्रेणी में कट-आफ पर दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो जिस अभ्यर्थी के अभिभावक की वार्षिक आय कम है उसे लाभान्वित किया जायेगा।</p> <p>(ii)- योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों के अन्तिम कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी उच्च मेधा (High Merit) में अंक एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के अभ्यर्थी को सबसे पहले वितरण किया जायेगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही क्रम) में वितरण किया जायेगा।</p> <p>(iii)- इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी कुल प्राप्तांक एवं आयु में एक समान होते हैं तो अभ्यर्थियों के नामों के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।</p> <p>(iv)- अभ्यर्थियों के अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा एवं छात्रवृत्ति में “प्रथम आगत प्रथम पावत” के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।</p> <p>5- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की इस मद में धनाभाव के कारण शेष देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रणीत नहीं होंगी।</p> |
| 12 | दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | (i)                                                                                            | <p>इस योजना में अर्ह छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा सशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/योजना में निःशुल्क प्रवेश की</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के आधार (AADHAR) सत्यापन के उपरान्त कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0 द्वारा आधार वेस्ट पेमेन्ट सिस्टम (ABPS) द्वारा किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ii)  | <p>(II) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना "उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम-2017" के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1175/52-3-2018, दिनांक 16.08.2018 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है। अतः इस योजना के अन्तर्गत आवेदक पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आधार नम्बर को अंकित करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र में छात्र द्वारा अपना आधार नम्बर एवं आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण तथा मोबाइल नम्बर भरा जायेगा, जिस पर प्राप्त वन टाईम पासवर्ड (OTP) आनलाइन आवेदन में यथास्थान भरने के पश्चात् छात्र पंजीकृत होंगे तथा आवेदन पत्र भर सकेंगे। एक आवेदन के साथ एक मोबाइल नम्बर अनुमन्य होगा, वही मोबाइल नम्बर दूसरे आवेदन पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियां आनलाइन त्रुटि रहित भरकर उसका प्रिंट आउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिशिष्ट-(ग) के अनुसार संलग्न कर शिक्षण संस्थान में आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक समय सारिणी में निर्धारित अवधि के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-(च) के अनुसार शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।</p> |
| (iii) | <p>अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र की हार्ड कापी के साथ संलग्न आय व निवास प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से, तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का मिलान मूल प्रमाण-पत्रों से शिक्षण संस्थान के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य - अध्यक्ष</li> <li>2- संस्था के वरिष्ठतम अध्यापक - सदस्य</li> <li>3- संस्था के वरिष्ठतम अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापक - सदस्य</li> </ol> <p>अथवा</p> <p>जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित उस संस्था का कोई अध्यापक (अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| (iv)  | <p>उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>का उत्तरदायित्व सम्बन्धित HoI/INO का ही होगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित, संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी परिशिष्ट “छ” के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (v) | <p>छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन संस्तुति एवं लाक किये गये विवरण की तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रख-रखाव निम्नलिखित स्तरों पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखा जायेगा:-</p> <p>1- शिक्षण संस्थान स्तर पर-</p> <p>(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु ऑनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमन्यता एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फीस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित हार्डकापी फाईलों में तथा साफ्टकापी हार्ड डिस्क में।</p> <p>(ब) अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हार्डकापी फाईलों में तथा साफ्टकापी हार्ड डिस्क में।</p> <p>छात्रवृत्ति आवेदन-पत्रों में से ऐसे आवेदन जो सन्देहास्पद श्रेणी के हैं तथा जिनका संशोधन सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा कर दिया गया है, उन्हें शिक्षण संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित करते हुए उनकी हार्डकापी DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>2- जनपद स्तर पर-</p> <p>जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय-</p> <p>1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमन्य सीटों की संख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमन्य शुल्क तथा सम्बन्धित समस्त शासनादेशों/सक्षम स्तर से जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्डकापी फाईलों में एवं साफ्टकापी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>2- शैक्षिक संस्थावार अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड कापी फाईलों में एवं साफ्ट कापी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>3- जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरण समिति द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित (छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी फाईलों में व साफ्टकापी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>4- छात्रवृत्ति सर्वर पर DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऑन लाइन डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा के</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>आवेदनों से सृजित सूची की हस्ताक्षरित हार्डकापी फाईलों में व सॉफ्टकापी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जायेगी, जिसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। ऐसे संदेहास्पद डाटा जिन्हें जनपद स्तर से अग्रसारित किया गया है, की सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से प्राप्त हस्ताक्षरित/प्रमाणित आवेदन पत्र तथा सस्पेक्ट के कारणों के निवारण हेतु सम्बन्धित अभिलेख की हार्डकापी फाईलों में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>5- छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों के ऐसे आवेदन जिन्हें सम्बन्धित जनपद स्तर से निरस्त किया गया है, की हार्डकापी अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित हार्ड कापी फाईलों में व सॉफ्टकापी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे सस्पेक्ट डाटा जिन्हें जनपद स्तर से निरस्त किया गया है, के आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी की छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।</p> <p>6- शैक्षिक संस्थावार अभ्यर्थी के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित अभ्यर्थी के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्टकापी हार्डडिस्क में एवं हार्डकापी फाईलों में (कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, पटल सहायक, DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>3- प्रदेश स्तर पर:-</p> <p>(क) निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण स्तर पर:-</p> <p>1- शैक्षिक संस्थावार अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों का हस्ताक्षरित संख्यात्मक जनपदवार विवरण साफ्ट कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>2- छात्रवृत्ति सर्वर पर DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा के आधार पर सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल की हस्ताक्षरित प्रति।</p> <p>3- छात्रवृत्ति से सम्बन्धित संदेहास्पद एवं रिजेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साफ्टकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।</p> <p>4- शैक्षिक संस्थावार अभ्यर्थी के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित अभ्यर्थी के विवरण को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साफ्टकापी (हार्डडिस्क में)।</p> <p>5- कैशबुक, लेजर, समर्पित/वापस की गयी धनराशि एवं बैंको द्वारा वापस की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण एवं लेखाशीर्षकवार प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा।</p> <p>ख- निदेशक, एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ के कार्यालय में उक्त डाटा की साफ्टकापी हार्डडिस्क/डाटाबेस में।</p> |
| (vi) | <p>शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा। DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, एवं निवास</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के पत्र में अंकित निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। अभ्यर्थी के बोर्ड/ विश्वविद्यालय के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान सम्बन्धित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। समस्त जनपदों के अभ्यर्थियों के डाटा में से डुप्लीकेट डाटा की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत डाटा को DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपने digital signature से लाक करते हुए SNO को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा। DNO द्वारा लाक किये गये डाटा के परीक्षणोपरान्त SNO द्वारा एन0आई0सी0, राज्य इकाई द्वारा मांग सृजित करायी जायेगी।</p> |
| (vii)  | <p>जनपद स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- जिलाधिकारी- अध्यक्ष</li> <li>2- मुख्य विकास अधिकारी- उपाध्यक्ष</li> <li>3- मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/अथवा नामित प्रतिनिधि - सदस्य</li> <li>4- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य</li> <li>5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी- तकनीकी सदस्य</li> <li>6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी- सदस्य</li> <li>7- जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य</li> <li>8-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव</li> </ol> <p>यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।</p>                                                                                                                                       |
| (viii) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऑन लाइन सत्यापित एवं अग्रसारित डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ एवं SNO के स्तर से परीक्षणोपरान्त ऑन लाइन प्राप्त समस्त छात्रों का विवरण सहित सूची छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति/अस्वीकृति प्राप्त की जाय। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:- <ol style="list-style-type: none"> <li>(क) DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ऑन लाइन डाटा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ (स्टेट यूनिट) को अग्रसारित करेंगे।</li> <li>(ख) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से ऑन लाइन अग्रसारित डाटा को</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ (स्टेट यूनिट) द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समस्त जनपदों के डाटा का परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त शुद्ध डाटा एवं जंक डाटा जनपदों के लॉग-इन पर उपलब्ध रहेगा।

(ग) DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के लॉग-इन पर उक्तानुसार उपलब्ध शुद्ध एवं जंक डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षाधिकारियों से अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए अभ्यर्थियों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(घ) जनपदीय छात्रवृत्ति समिति स्वीकृति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की स्वीकृति हार्ड कापी पर एवं ऑनलाइन भी प्रदान की जायेगी, जिसे DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन संस्तुत एवं लाक किया जायेगा। जनपदीय छात्रवृत्ति समिति स्वीकृति द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षण संस्थान एवं अभ्यर्थी के विवरण आदि का मिलान हार्डकापी से एवं स्थलीय जाँच अपने स्तर से रैण्डमली की जायेगी। उपरोक्त के साथ-साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह 05 प्रतिशत संस्थाओं के समस्त अभ्यर्थियों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रेषित की जायेगी। साथ ही मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ उपनिदेशक के द्वारा अपने मण्डल में प्रतिमाह रैण्डमली 5 प्रतिशत संस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जिलाधिकारी के स्तर से भी वर्ष में रैण्डमली 10 प्रतिशत संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

(ङ) यही प्रक्रिया जनपद स्तर पर जंक डाटा को शुद्ध करते हुए पुनः अपनायी जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण की जायेगी।

2. DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा आन लाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के परीक्षणोपरान्त अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ से विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा मांग जनरेट करायी जायेगी, जो निदेशालय के लाग-इन पर उपलब्ध हो जायेगी।

3. इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत अभ्यर्थी के आधार सत्यापन के उपरान्त कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा डी0बी0टी0 द्वारा PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से उनके आधार लिन्कड बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी/SNO एवं सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी का होगा। DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <p>है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।</p> <p>4. DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से ऑन लाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी, क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।</p> <p>5. DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से प्राप्त सस्पेक्ट डाटा में यदि किसी छात्र का बैंक खाता, आई0एफ0एस0 कोड तथा पाठ्यक्रम की स्वीकृत फीस की धनराशि त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो डिजिटल सिग्रेचर से लॉक करने से पूर्व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की लिखित अनुमति छात्रवार प्राप्त कर संबंधित अभ्यर्थियों की त्रुटियों को अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित वर्ष की छात्रवृत्ति समय-सारिणी में दी गयी समयावधि में ठीक कराकर शुद्ध डाटा ही डिजिटल सिग्रेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा।</p> <p>6. DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति समिति की होगी।</p> |
| <p>(ix)<br/>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु</p> | <p>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त अभ्यर्थियों के डाटा का परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा:-</p> <p>(1) छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल परीक्षाफल के अनुक्रमांक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।</p> <p>(2) अभ्यर्थियों के आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र के जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा-आय की धनराशि, प्रमाण-पत्र धारक का नाम, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।</p> <p>(3) अभ्यर्थियों के विवरण में से राज्य स्तर पर आपस में मिक्सिंग कर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग-अलग कर पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस के साथ जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(4) जनपदवार बैंक शाखाओं एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड का मिलान करा लिया जायेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से शुद्ध कराया जायेगा।</p> <p>(5) अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय/ बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित विश्वविद्यालय/ बोर्ड की वेबसाइट से कराया जायेगा।</p> <p>(6) अभ्यर्थियों द्वारा वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क के रूप में पाठ्यक्रमवार/ संस्थावार भरी गयी शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का मिलान जिला समाज कल्याण</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क स्ट्रक्चर से कराया जायेगा।</p> <p>(7) जिन अभ्यर्थियों का विवरण त्रुटिपूर्ण ढंग से एक बार अग्रसारित हो गया था तथा बाद में सही विवरण अग्रसारित नहीं हो रहा था, ऐसे समस्त संज्ञानित प्रकरणों को आवश्यक जांचोपरान्त ठीक कराया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (x)    | <p>अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके आधार सत्यापन के उपरान्त राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा "आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम" (ABPS) डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके आधार लिंकड बैंक खाते में निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी/SNO एवं मुख्य कोषाधिकारी द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष एकमुश्त किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                              |
| (xi)   | <p>इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि उनके बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0 एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा "आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम" ( ABPS ) डी0बी0 टी0 के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी/SNO का होगा। अभ्यर्थियों के बचत बैंक खातों में धनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसका निराकरण निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जायेगा।</p>                                                                                                  |
| (xii)  | <p>अभ्यर्थियों के बचत बैंक खातों में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा "आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम" (ABPS) डी0बी0टी0 के प्रणाली के माध्यम से उनके आधार लिंकड बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी/SNO PFMS (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM) प्रणाली से कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा "आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम" (ABPS ) डी0 बी0टी0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंकड बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> |
| (xiii) | <p>निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु SNO को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोंपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन, कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नम्बर को छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी, जो PFMS सर्वर पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी, जिसे</p>                                                             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रान्जेक्शन को अप्रूव करने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन फाइल पुनः PFMS को प्राप्त होगी। PFMS द्वारा उक्त ट्रान्जेक्शन फाइल को अप्रूव करते हुए ट्रेजरी लागिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात् कोषाधिकारी द्वारा ट्रान्जेक्शन फाइल अप्रूव किया जायेगा, जिसके उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण अभ्यर्थियों के आधार लिन्कड बैंक खाते में सीधे अन्तरित हो जायेगी। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त इनवेलिड बेनीफिशरी जनपदों के लागिन पर रहेगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शुद्ध कर PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु DNO द्वारा अपनी डिजिटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किया जायेगा। वित्त नियन्त्रक एवं SNO/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा PFMS साफ्टवेयर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अन्तरण करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।</p> |
| (xiv)   | <p>एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक/ वित्त एवं लेखाधिकारी /SNO के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रान्जेक्शन फाइल, एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति/कोषागार/ पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर डाटा को ट्रांसफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा। उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (xv)    | <p>जिला विद्यालय निरीक्षक, DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) तथा सभी विश्वविद्यालयों/ परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा नामित नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करेंगे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (xvi)   | <p>वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी/SNO द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी का होगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (xvii)  | <p>राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लाग-इन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (xviii) | <p>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आन लाइन आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के संशोधन हेतु दी गयी निर्धारित समय सीमा के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा फाइनल प्रिंट आउट लेने के उपरान्त आवेदन पत्र में एक बार अंकित अन्य सूचनाओं के साथ-साथ बैंक खाता संख्या एवं बैंक सम्बन्धी कोई भी अंकित सूचना किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13-     | भुगतान व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)   | संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र आन लाइन जमा कर उसकी हार्ड कापी संस्था में जमा करनी होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ii)  | निदेशालय के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी/SNO द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की माँग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के आधार लिंकड बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0 स0 प्रणाली द्वारा “आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम” (ABPS) डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को राज्य एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (iii) | उक्तानुसार आन लाइन सृजित माँग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/ RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा “आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम” (ABPS) डी0बी0टी0 प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी एवं SNO द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार लिंकड बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से कोर बैंकिंग (NEFT/ RTGS) के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा “आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम” (ABPS) डी0बी0टी0 प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार लिंकड बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फेल्ड ट्रान्जेक्शन की भारतीय स्टेट बैंक की जवाहर भवन लखनऊ शाखा के स्तर पर उपलब्ध धनराशि का निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन लखनऊ की सहमति के उपरान्त लाभार्थीवार (Beneficiaries) पुनः अंतिम रूप से एक बार ई-पेमेण्ट (E-Payment) /नेफ्ट (NEFT) /कोर बैंकिंग (Core Banking) प्रणाली के माध्यम से सम्बंधित छात्र/छात्राओं के आधार लिंकड बैंक खातों में धनराशि अंतर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त अवशेष छात्रों की बैंक से फेल्ड ट्रान्जेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त अवशेष धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक/ वित्त |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | <p>एवं लेखा अधिकारी एवं SNO का होगा।</p> <p>उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत PFMS (Public Financial Management System) /बैंकों का उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी/SNO/नोडल अधिकारी (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।</p> |
|     | (iv)                           | छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि विभाग/कोषागार द्वारा निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों के आधार लिंकड बैंक खातों में डी0बी0टी0 प्रणाली के माध्यम से सीधे अन्तरित कर दी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | (v)                            | दशमोत्तर छात्रवृत्ति 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षाएँ पूरी होती हैं, देय होगा। यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है, तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (vi)                           | यदि आवेदक को गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है और वह उसके द्वारा पाठ्यक्रम जारी रखते हुए अगले वर्ष आवेदन किया गया है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान की गयी थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14- | छात्रवृत्ति की अवधि व आवेदन    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | (i)                            | योजनान्तर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थान, मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त संस्थान तथा National Scholarship Portal (NSP) पर पंजीकृत (Registered) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान के पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम की शेष अवधि के दौरान आवेदन किया जा सकेगा। यदि छात्र द्वारा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आन लाइन आवेदन किया जाता है तथा वह इस नियमावली के शर्तों के अनुसार अर्ह है। परीक्षाएँ भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा, किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | (ii)                           | ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन गत वर्ष जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से अग्रसारित किया गया है, उन्हें पाठ्यक्रम के अगले वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15- | छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | (i)                            | छात्रवृत्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                    | <p>उसे दुर्व्यवहार जैसे-हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>(ii)<br/>अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, छात्रों/शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।</p> | <p>छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध जांचोपरान्त निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थियों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों /HoI/INO आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- मास्टरडेटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।</li> <li>2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अभ्यर्थी के अध्ययनरत न पाये जाने पर।</li> <li>3- शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।</li> <li>4- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</li> <li>5- अभ्यर्थी द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।</li> <li>6- अभ्यर्थी द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/ शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदल कर पुनः दूसरे पाठ्यक्रम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</li> <li>7- शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्तिकी धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।</li> <li>8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर अभ्यर्थियों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।</li> <li>9- जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर।</li> </ol> |
|    | (iii)                                                                                                                              | <p>अभ्यर्थी द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | ऑनलाईन आवेदन करने वाले सम्बन्धि छात्र/छात्राओं व शिक्षण संस्थाओं/विभागों का दायित्व                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | (i)                                                                                                                                | सर्वप्रथम अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामान्य जानकारी हासिल करना-                | <p>तथा दिये गये प्रारूप को प्रिंट कर लें।</p> <p>1-प्रिंट किये गये फार्म पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही भर लें ताकि ऑनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे।</p> <p>2- ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अंकित की जानी है।</p> <p>3- प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करेक्टर यथा- -- #, \$, %, ^, &amp;, *, (), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ii)<br>ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना | <p>1- प्रथम चरण में अभ्यर्थी को निर्धारित वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।</p> <p>(i)- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना “उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम- 2017” के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1175/52-3-2018 दिनांक 16.08.2018 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है। अतः योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को आधार नम्बर की ई-के0वाई0 सी0 हेतु अपने आधार नम्बर को अंकित करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।</p> <p>(ii )- छात्रवृत्ति के आनलाईन आवेदन पत्र में आधार ई-के0वाई0सी0 के पश्चात अभ्यर्थी का समस्त विवरण, बैंक डिटेल ऑटोफेच (Auto Fetch) होकर प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी के पिता का आधार नम्बर, प्रमाणीकरण के उपरांत पोर्टल पर पिता के आधार से लिंक पैन कार्ड व इन्कम टैक्स पोर्टल से सम्बन्धित पासवर्ड को फीड करने पर गत वर्ष का आयकर विवरणी एवं आय प्रदर्शित किये जाने की कार्यवाही वैकल्पिक रूप से की जायेगी।</p> <p>2- रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियां वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।</p> <p>3- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का विकल्प होगा।</p> <p>4- रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिंट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें।</p> |
| (iii )<br>ऑनलाइन आवेदन करना                | <p>1- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।</p> <p>2- इसके लिये निर्धारित वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरना होगा।</p> <p>3- इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियां सही होने पर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।</p> <p>4- इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वतः प्रदर्शित होंगी, जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा वांछित कॉलम में सूचनायें सही-सही भरी जाय।</p> <p>5- जिस कॉलम के सामने Asterisk (तारांकन-*) प्रदर्शित हो रहा है उस कॉलम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।</p> <p>6- छात्र/छात्रा द्वारा अपने आवेदन पत्र/फार्म में अपने नाम के बचत बैंक खाते का</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ही विवरण भरना होगा जो उसके माता/पिता/अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो एवं सम्बन्धित छात्र/छात्रा का अंकित बचत बैंक खाता उसके आधार नम्बर एवं आधार कार्ड में अंकित मोबाईल नम्बर से लिंक/सीडेड होना अनिवार्य है, किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

7- इस प्रकार आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा अपने आवेदन पत्र को टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व आवेदक छात्र/छात्रा के आधार नम्बर के आनलाइन सत्यापन (प्रमाणीकरण) की प्रक्रिया हेतु उसके मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी को आवेदन पत्र में यथा-स्थान स्पष्टता (त्रुटि-रहित) के साथ अंकित करना होगा। इसके बाद यदि आधार नम्बर का आनलाइन सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के उपरांत ही सम्बन्धित छात्र का आवेदन पत्र टेम्परेरी लॉक होगा।

7- (i) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त सम्बन्धित छात्र का आवेदन पत्र अंतिम रूप से आनलाइन जमा (Final Submission) करने हेतु Submit बटन पर क्लिक करना होगा, इसके उपरांत अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिन्ट आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन पर क्लिक करना होगा। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भली भांति जांच लें, यदि समस्त प्रविष्टियां सही हैं, तो पुनः होम पेज पर अपने “फोटो अपलोड करें” पर क्लिक करना होगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करना होगा।

(ii) सम्बन्धित अभ्यर्थियों का उपरोक्त प्रक्रिया में आधार नम्बर के आनलाइन सत्यापन (प्रमाणीकरण) हेतु दिये गये प्रथम तीन अवसरों (First Three Chances) में आनलाइन सत्यापन हेतु तीन प्रयासों के उपरान्त किसी भी कारण से सत्यापन बाधित होने की दशा में उन्हें (सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के हित में) आधार नम्बर के पुनः आनलाइन सत्यापन हेतु दो अतिरिक्त अवसर (Second and Third Chance) दिये जायेंगे। ध्यान रहे कि आनलाइन आधार सत्यापन के प्रत्येक स्तर (Stage) के मध्य तकनीकी रूप से 72 घण्टे का अंतराल होगा अर्थात् एक स्तर पर सत्यापन के 3 प्रयास बाधित होने की दशा में छात्र द्वारा पुनः 72 घण्टे बाद ही अगला प्रयास करना होगा। बाधित सत्यापन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर आधार के सत्यापन से सम्बन्धित कमी की सूचना एसएमएस द्वारा सम्बन्धित छात्र को दी जायेगी, जिसका निराकरण सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को त्रुटि सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरांत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा साक्ष्यों के गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत/निरस्त (Approved/Reject) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होगा।

(बाधित आनलाइन आधार सत्यापन में त्रुटि सुधार हेतु 03 पृथक-पृथक अवसर दिये गये हैं प्रत्येक अवसर में सम्बन्धित छात्र द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक अवसर में 03 बार अपना त्रुटि रहित सत्यापन कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि उपरोक्त वर्णित कुल 09 अवसरों के अतिरिक्त त्रुटि सुधार हेतु अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।)

8- इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए।</p> <p>9- फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।</p> <p>10. Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।</p> <p>11- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।</p> <p>12- योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी में शिक्षण संस्थान के स्तर से पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमानुसार अग्रसारित किये जाने हेतु निर्धारित अवधि में संस्था स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित/परिलक्षित होती है, तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त छात्र का आवेदन पत्र आनलाईन अभ्यर्थी के लागिन में वापस करना होगा तथा सम्बन्धित छात्र द्वारा ऐसे आवेदन को सही कराकर पुनः 07 दिन के भीतर संस्था द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा समय-सारिणी में निर्धारित अवधि के दौरान सम्बन्धित संस्था/अभ्यर्थी को उपलब्ध रहेगी अन्यथा की स्थिति में संस्था द्वारा अभ्यर्थी के लागिन में वापस भेजे गये समस्त त्रुटिपूर्ण आवेदन आनलाईन सुधार (Online Correction) के अभाव में स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।</p> <p>13- सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में की गई त्रुटि को सही करने हेतु अभ्यर्थी को उसी सन्देहास्पद बिन्दु पर अपना उत्तर/सही करने के लिये एक बार आनलाईन अलग से आप्शन दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा भी इसे अनिवार्य रूप से सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा।</p> |
| (iv)<br>आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना- | <p>इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेण्ट जैसे- आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (v)<br>आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-     | <p>1- संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               | 2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जाने" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | (vi)<br>अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-                                                          | अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                               | 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                               | 2- शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                               | 3- सन्देशास्पद डाटा में आने पर प्रदर्शित करना एवं अभ्यर्थी द्वारा सही करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                               | 4- छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत करने पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                               | 5- पीओएफओएमओएसओप्रणाली के माध्यम से बैंक द्वारा आनलाइन सत्यापन में खाता बन्द होने या अन्य कारणों से बैंक खाता सत्यापित न होने पर अथवा अस्वीकृत होने पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                               | 6- बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16(1)  | अभ्यर्थी द्वारा आधार कार्ड या इनरोलमेंट नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना एवं अभिलेखों को डिजिटल लाकर में रखना- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                               | (1) प्रत्येक अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में सही आधार कार्ड नम्बर अंकित करना होगा। फर्जी आधार नम्बर अंकित करने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया जाता है तथा शिक्षण संस्था द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को अग्रसारित किया जाता है तो इस अनियमितता के लिये शिक्षण संस्था व छात्र दोनों उत्तरदायी होंगे। इस दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त कार्य के क्रियान्वयन एवं आधार नम्बर के सत्यापन हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) से अनुबन्ध किया जायेगा। |
| 16 (2) | शैक्षिक संस्थानों के उत्तरदायित्व -                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (i)                                                                                                           | शिक्षण संस्था को एक नोडल अधिकारी (INO) नामित करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | (ii)                                                                                                          | शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आईडीओ एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | (iii)                                                                                                         | शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर अपडेट करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | (iv)                                                                                                          | शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट कराना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (v)                                                                                                           | संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (vi)                                                                                                          | संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | (vii)                                                                                                         | आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट- ' ग ' के अनुसार संलग्नक नत्थी किए गये हैं, चेक कर लें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (viii)                                                                                                        | आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा। उसी प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उसे संस्थान द्वारा ( V ) किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ix)    | शिक्षण संस्था को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (x)     | संस्थान उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के पश्चात छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (xi)    | अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (xii)   | आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथि तक ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात शासन द्वारा जारी समय-सारिणी में निर्धारित समयावधि के अन्दर ही शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त, सत्यापित/अस्वीकृत एवं अग्रसारित करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (xiii)  | ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी। जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जॉच/मिलान करते रहेंगे।                                                                                                                                                                                                    |
| (xiv)   | शिक्षण संस्थान अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छायाप्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा-नाम, खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (xv)    | अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसारित (Forward) कर देंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (xvi)   | अभ्यर्थियों द्वारा सबमिट समस्त आवेदन पत्रों की हार्ड-कापी को शत-प्रतिशत संस्था द्वारा अभिलेखीय प्राप्त किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अग्रसारित नहीं किया जायेगा, उसको संस्थान अपने स्तर से Reject कर देंगे तथा अभ्यर्थियों के सही आवेदनों को वेरीफाई करते हुये अग्रसारित किया जायेगा। संस्था द्वारा अभ्यर्थी का डाटा लम्बित रखने, गलत श्रेणी/ अपात्र अभ्यर्थी का डाटा अग्रसारित करने पर संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी। |
| (xvii)  | संस्थान द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (xviii) | शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिए गये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (xix)    | सभी अभ्यर्थियों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानकारी संस्थान द्वारा दी जायेगी। सभी कक्षाओं में उपलब्ध संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल के माध्यम से अवगत होंगे।                                                                                                                                       |
| (xx)     | डाटा के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिये संस्थान अपनी लॉग इन पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर लगातार सत्यापन करते रहेंगे एवं समस्त आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि से पूर्व अग्रसारित करने एवं रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर आनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।                                                                                                                                                             |
| (xxi)    | अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (xxii)   | Hol/INO द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी के विवरण को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अग्रसारित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (xxiii)  | जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                |
| (xxiv)   | शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र अभ्यर्थी का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन विवरण की हार्डकापी छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिंट आउट समस्त संलग्नों सहित (परिशिष्ट-छ) के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।                                                                         |
| (xxv)    | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित Search students detail से अभ्यर्थियों के हार्डस्कूल के अनुक्रमांक के आधार पर सत्यापन हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये विकल्प से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के उपरान्त सही पाये गये अभ्यर्थी का ही डाटा संस्थान द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।                                                                                           |
| (xxvi)   | शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र अध्ययनरत अभ्यर्थी अगले वर्ष भी आवेदन करें एवं शिक्षण संस्थान उनके आवेदन फार्म को सत्यापित व अग्रसारित करेगा।                                                                                                                                                                                              |
| (xxvii)  | कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यक्रमों में यदि अभ्यर्थी किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नया आवेदन पत्र भरना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (xxviii) | शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन हेतु अर्ह ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें गत वर्ष भुगतान प्राप्त हुआ है किन्तु उसी पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक अभ्यर्थीवार स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा यथा- अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति का विवरण भी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं अपलोड किया जायेगा। |
| (xxix)   | संस्था द्वारा अभ्यर्थी के आधार नम्बर का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       | उपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 (3) | DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के उत्तरदायित्व |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | (i)                                                   | शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करके उनका सत्यापन करना एवं तदुपरान्त आवश्यकतानुसार आवेदन पत्रों की प्रित संकलित करते हुए शिक्षण संस्थान को सभी आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी संरक्षित रखने के निर्देश देना।                                                                                                                                                                       |
|        | (ii)                                                  | यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | (iii)                                                 | शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजिटली लॉक कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | (iv)                                                  | अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (v)                                                   | अभ्यर्थियों के नाम के बैंक खातों एवं बैंक शाखाओं के आई0एफ0एस0 कोड (IFSC) का रेण्डमली मिलान ऑनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्व कराना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | (vi)                                                  | अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | (vii)                                                 | सक्षम एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को आनलाइन सत्यापित एवं लॉक करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | (viii)                                                | आनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों की बैठक में बुलाकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। |
|        | (ix)                                                  | छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ही होगा।                                                                                                                                                |
|        | (x)                                                   | बैंक खाते में धनराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | (xi)                                                  | जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (xii)                                                 | उक्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (xiii)                                                | प्रत्येक माह 5 प्रतिशत सस्थाओं के समस्त अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसकी रिपोर्ट निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को प्रत्येक माह मासिक प्रगति रिपोर्ट के                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | साथ प्रेषित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16(4) | सम्बन्धित शिक्षा विभागों का दायित्व                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | (i)                                                          | आनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना। |
|       | (ii)                                                         | शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजिटल सिग्रेचर से लॉक किया जाना।                                                                               |
|       | (iii)                                                        | शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।                                                                                                                                                     |
| 16(5) | राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) का उत्तरदायित्व |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | (i)                                                          | शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | (ii)                                                         | शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आई0डी0 तथा पासवर्ड उपलब्ध कराना।                                                                                                                                                                    |
|       | (iii)                                                        | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें, जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेगें।                                                                                                                                                              |
|       | (iv)                                                         | DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आई0डी0, पासवर्ड एवं डिजिटल सिग्रेचर एन0आई0 सी0 या अन्य संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना।                                                                                                                                               |
|       | (v)                                                          | राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                              |
|       | (vi)                                                         | आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।                                                                                                                                                                                                                     |
| 16(6) | विश्वविद्यालय/परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | (i)                                                          | सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे।                                                                                                                                                                                                     |
|       | (ii)                                                         | नोडल अधिकारी सम्बन्धित संस्था से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर डिजिटल सिग्रेचर प्राप्त करेंगे।                                                                                                                                                                                                                        |
|       | (iii)                                                        | नोडल अधिकारी डिजिटल सिग्रेचर से मास्टर डाटा में संस्था से सम्बन्धित विवरण का सत्यापन कर डाटा लॉक करेंगे।                                                                                                                                                                                                            |
|       | (iv)                                                         | सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाफल को XML Format पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।                                                                                                                                        |
|       | (v)                                                          | छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाफल को                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           | विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्रेचर से लॉक भी किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (v i)    |                                                           | विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्रस्तांक का मिलान स्कूटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (v ii )  |                                                           | विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा प्रत्येक छात्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (v iii ) |                                                           | विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्रेचर से किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ix)     |                                                           | सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एक्सेल सीट में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (x)      |                                                           | जिन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध अनियमितताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16(7)    | <b>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उत्तरदायित्व-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | (i)                                                       | DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आवश्यक जॉचोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | (ii)                                                      | छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अनुमोदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित विवरण का रेन्डम आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा से मिलान कर लेना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | (iii)                                                     | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लाक कराना जिस पर राज्य एन0 आई0 सी0 द्वारा निर्धारित तिथि तक मॉंग सृजित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | (iv)                                                      | किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी गंभीरता से समयबद्ध जांच कराना तथा जांचोपरांत दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17-      | <b>जनपद स्तर पर अनुश्रवण</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | (i)                                                       | छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-<br>(1) जिलाधिकारी                                      अध्यक्ष<br>(2) मुख्य विकास अधिकारी -                  उपाध्यक्ष<br>(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी -        सदस्य<br>(4) जनपद में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो - सदस्य<br>(5) जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो - सदस्य<br>(6) जनपद में स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो - सदस्य<br>(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पॉलीटेक्नीक के प्राचार्य- सदस्य |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | (8) जिला विद्यालय निरीक्षक -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सदस्य      |
|       | (9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ( NIC ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सदस्य      |
|       | (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सदस्य      |
|       | (11) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सदस्य/सचिव |
| (ii)  | उक्त समिति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं चिकित्सा आदि किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।                                                                                                                                                          |            |
| (iii) | उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी<br>क- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग 10.00 लाख रुपये या उससे अधिक हो।<br>ख- उक्त के अतिरिक्त समिति स्वविवेक से रैंडम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जाँच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| (iv)  | जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।                                                                                                                                                    |            |
| (v)   | अभ्यर्थियों के आधार लिंकड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कम से कम 05 प्रतिशत अभ्यर्थियों में धनराशि का वितरण का भौतिक सत्यापन/जाँच सुनिश्चित करायी जायेगी। अभ्यर्थियों के रैंडमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली सॉफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जाँच हेतु जिलाधिकारी अभ्यर्थियों, शिक्षण संस्थानों की सूची रैंडम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर नियमावली के नियम- 15(ii) के अनुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। |            |
| (vi)  | छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विद्यालयवार सृजित मांग एवं वितरित धनराशि के अभिलेखों/पंजिकाओं को पूर्ण कराने एवं अनुरक्षण करने, बुक कीपिंग व रिकार्ड कीपिंग, वितरित की गयी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा विभागीय/महालेखाकार द्वारा आडिट कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

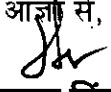
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | ग्रेवान्स रिड्रेसल अधिकारी नामित किया जाना | (क)- राज्य स्तर पर निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उ० प्र० द्वारा छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)/SNO, मुख्यालय को स्टेट ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।<br>(ख)- मण्डल स्तर पर अभ्यर्थियों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मण्डलीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है।<br>(ग)- जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु DNO/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिड्रेसल आफिसर नामित किया जाता है। |
| 19 | संशोधन का अधिकार                           | इस नियमावली के प्रावधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने का अधिकार मा० मुख्य मंत्री जी में निहित होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | न्यायालय क्षेत्राधिकार                     | किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

मोनिता एस० गर्ग  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-1837(1)/52-3-2023, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसकी प्रतियाँ समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
( गुलाब सिंह )  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

गुलाब सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०  
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2023

**विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3141/अ०सं०क०नि०-1070/दशमो०छा०/नि०संशो०/2023-24, दिनांक-21 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित समय-सारिणी जारी करने के लिये शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों/मदरसों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए नवीन विस्तृत समय-सारिणी निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत की जाती है :-

| क्रमांक | प्रक्रिया कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | संभावित समयावधि कक्षा 11-12<br>अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं<br>हेतु |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही INO/HOI द्वारा शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएं)। मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों का मिलान हुए), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम AISHE CODE आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके INO/HOI द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करके अपलोड करना। | 03 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <p>मास्टर डाटा में INO/HoI द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कक्षा 11-12 हेतु – जिला विद्यालय निरीक्षक</li> <li>• कक्षा 11-12 के अतिरिक्त अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु।</li> <li>• आई0टी0आई0 एवं पालीटेक्निक हेतु सम्बन्धित शिक्षा विभाग का मण्डलीय अधिकारी</li> <li>• अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा नामित अधिकारी।</li> </ul> | 05-30 अक्टूबर, 2023 तक                                                                           |
| 3  | मास्टर डाटा में उपलब्ध सूचनाओं को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन लॉक किया जाना तथा उस वर्ष भौतिक सत्यापन हेतु शिक्षण संस्थाओं का चिन्हीकरण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-10 नवम्बर, 2023 तक                                                                            |
| 4  | छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 नवम्बर, 2023 से 10 दिसम्बर, 2023 तक                                                           |
| 5  | छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल) इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।                                                                                                                                                                                                                        | छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में। |
| 6  | आन लाइन आवेदन की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आवेदन पत्र भरने के लिए 04 दिन के अन्दर                                                           |
| 7  | छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का INO/HoI द्वारा मिलान किया जाना एवं प्राप्त आनलाइन आवेदनों की जाँच करके अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन INO/HoI के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।                                                                                                                                                                   | 01-15 दिसम्बर, 2023 तक                                                                           |
| 8  | जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर चिन्हित संस्थाओं एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 नवम्बर-15 दिसम्बर, 2023 तक                                                                    |
| 9  | DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा संस्था एवं अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्रों की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना तथा अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों एवं संस्थाओं को ब्लाक करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 दिसम्बर, 2023-15 जनवरी, 2024 तक                                                               |
| 10 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01-25 जनवरी, 2024 तक                                                                             |
| 11 | DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष शुद्ध डाटा प्रस्तुत करके समिति का निर्णय प्राप्त किया जाना तथा जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 जनवरी-20 फरवरी, 2024 तक                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | DNO के डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 12 | उपरोक्तानुसार लाक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का डाटा SNO द्वारा अग्रसारित करके एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित करना।                                                                                                                        | 10-20 फरवरी, 2024 तक               |
| 13 | SNO के डिजिटल हस्ताक्षर से सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (E-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार पर लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।                                                             | 20-28 फरवरी, 2024 तक               |
| 14 | संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित संस्था छात्र/छात्राओं का लॉगिन पर NIC द्वारा प्रदर्शित किया जाना                                                                                                                                                                               | 20 दिसम्बर, 2023-20 जनवरी, 2024 तक |
| 15 | छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके संशोधित आवेदन किया जाना तथा हार्डकापी समस्त बांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।                                                                                                           | 01-31 जनवरी, 2024 तक               |
| 16 | त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का शिक्षण संस्था के INO/HoI द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित तथा सत्यापित अभिलेखों की हार्डकापी को DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को उपलब्ध कराना।                       | 01-15 फरवरी, 2024 तक               |
| 17 | छात्र द्वारा सही किये गये संदेहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुन परीक्षण किया जाना। संशोधित आवेदन पत्रों के अभिलेख प्राप्त करके DNO (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।                         | 15 फरवरी-10 मार्च, 2024 तक         |
| 18 | संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष DNO द्वारा प्रस्तुत करना तथा समिति द्वारा निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तदनुसार अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। | 10-20 मार्च, 2024 तक               |
| 19 | उपरोक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर SNO द्वारा एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।                                                                                                                                                                                     | 20-24 मार्च, 2024 तक               |
| 20 | SNO द्वारा कोषागार के ई-पेमेण्ट (E-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।                                                                                                                        | 25-29 मार्च, 2024 तक               |

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
 ( गुलाब सिंह )  
 संयुक्त सचिव।

**संख्या-1867(1)/52-3-2023, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र०।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

( गुलाब सिंह )  
संयुक्त सचिव।